न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/98/18	07-08-2018	24-10-2018

01. नरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री ईश कुमार जाति पंजाबी निवासी ग्राम मिलकपुर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत मिलकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 29-06-2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या 262/85 प्रकरण संख्या 26/18

उपस्थितः-

01. श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार —रेस्पौडेण्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 29-06-2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 262/85 निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने निरस्त किया है। अपीलान्ट के विरूद्व प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 14.11.17 द्वारा उचित मूल्य सामग्री में किसी प्रकार की अनियमितता या गबन नहीं किया गया है, पॉस मशीन को चैक करने एवं भौतिक सत्यापन करने पर गेहूँ कैरोसीन, चीनी का स्टॉक पूरा था जिस तथ्य पर माहतह अधिकारी द्वारा गौर ना कराते हुए जांच रिपोर्ट दिनांक 14.11.17 को आधार बनाते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र आलोच्य निर्णय के मार्फत निरस्त किया गया है। वक्त जांच प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा चाहे गये समस्त दस्तावेजात एवं सामग्री आदि के क्रय के बिल उपलब्ध कराये गये थे। प्रवर्तन निरीक्षक को जांच की गई उस समय उचित मूल्य सामग्री का स्टॉक पूरा था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पर्चा पूछताछ हुक्मचन्द पुत्र चिरंजीलाल का तैयार किया गया था जिसके बयान किया कि डीलर नरेश से मुझे कोई शिकायत नहीं है। डीलर द्वारा प्रतिमाह गेहूँ मुझे दिया जा रहा है जिसका इन्द्राज मेरे राशन कार्ड में भी है। मेरे पास गैस कनेक्शन है जिस कारण मुझे केरोसीन नहीं मिल रहा है, विजय कुमार पुत्र मंगलराम एवं नूरमल पुत्र छोटे खां के खाली प्रिन्टेड

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

Scanned by CamScanner

फार्मा पर हस्ताक्षर करवाये गये थे, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा कहा गया कि मै यहॉ आया हूँ खानापूर्ति करनी है हुक्मचंद के जो बयान दर्ज किये है वो ही तुम्हारे बयान होगें, जिन बातों पर विश्वास करते हुए दोनो व्यक्ति ने हस्ताक्षर किये थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 11–12–2017 का अपीलान्ट को जारी किया गया था जिसका अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था। अपीलान्ट पर गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोप विरचित किये गये थे वो गंभीर प्रकृति के नही थे। प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निरस्त करने के लिए ही लगाये गये थे। कानूनन 90 दिनों के पश्चात् निलम्बित लाईसेंस स्वतः ही बहान हो जाना चाहिये था, केवल 90 दिन तक ही प्राधिकार पत्र को निलम्बित रखा जा सकता है, 90 दिवस के उपरान्त स्वतः ही प्राधिकार पत्र बहाल हो जाता है, इस बावत श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव खाघ नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 02–09–2008 एवं 07–07–2009 में दिशा निर्देश दिये हुए है। लेकिन जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण पांच माह व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक नही किया गया है। Raj. Foodgrains & Other Ess. Art. (Regu. Of Distri.) Order 1976 के सैक्टर 8 क्लॉज 2 के अनुसार " No order of cancellation shall be made under this order unless the authorization holder has been given a reasonanble opportunity of stating his case against the proposed cancellation but during the pendency or in contemplation of proceedings of cancellation of authorization, the authorization can be suspended for a period not exceeding 90 days without giving any opportunity to the authorization holder of station his case." प्रकरण में शिकायतकर्ता मुकेश पुत्र हंसराज पंजाबी ब्राहमण निवासी मिलकपुर है जिसकी पत्नी द्वारा राशन डीलर बनने के लिए कार्यालय में आवेदन किया गया था। परन्तु अपरिहार्थ कारणों से शिकायतकत्र्ता की पत्नी राशन डीलर नही बन सकी। जिसके कारण उसके द्वारा रंजिशवश झूठी शिकायत मुख्यमंत्री जन सुनवाई के दौरान की गई, शिकायतर्का मुकेश को अपीलान्ट की उ.मू.दु. से कोई उचित मूल्य सामग्री प्राप्त नहीं होती थी क्योंकि वह एपीएल श्रेणी का कार्डधारी था एवं उसके पास गैस कनैक्शन जारी था। शिकायतकर्ता ने कुछ ग्रामीण परिवेश के व्यक्तियों को बहकाते हुए झूठी शिकायत अपीलान्ट के विरूद्व की गई थी। जिला रसद अधिकारी अलवर के यहॉ अपीलान्ट के विरूद्व किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं रही है। जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा में अपीलीय आदेश पारित किया गया है। जबकि अपीलान्ट के विरूद्व उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं है, तथा सभी उपभोक्ता अपीलान्ट के वितरण कार्य से संतुष्ट है। अपीलान्ट के विरूद्व आपसी रंजिशवश की गई है। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृति के नही थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त होने से परिवार का पालन पोषण नही हो रहा है। जिला रसद

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलांट को जो नोटिस दिया उसका जवाब पेश कर दिया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और किसी प्रकार का गबन किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें। अपने कथन की पुस्टी में न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय की प्रति पेश की।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निरस्त किया जा सकता है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। वक्त जांच उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूँ, चीनी एवं केरोसीन का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया और ना ही ट्रॉजेक्शन की पर्ची उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं कराई जाती है। उपभोक्ताओं ने बताया कि उनके राशन कार्डो पर फर्जी ट्रॉजेक्शन पर केरोसीन निकाला गया है। उपभोक्ताओं को राशन सामग्री हेतु बार–बार दुकान पर बुलाया जाता है जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पडता है। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नहीं मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपील अन्दर मियाद पेश की है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क यह उठाया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रवृति के नहीं है। जिसके संबंध में बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है। अपीलान्ट द्वारा जवाब नोटिस तहत अदालत में पेश किया गया, किन्तु तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के जवाब नोटिस पर गौर नही करते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। वक्त जांच प्रवर्तन निरीक्षक अलवर द्वारा पर्चा पूछताछ की गई जो क्रमशः विजय कुमार पुत्र मंगलराम, नूरमल पुत्र श्री छोटे खां, हुकम चन्द पुत्र चिरंजी लाल, बनवारी लाल पुत्र श्री भाग सिंह, कर्मचन्द पुत्र दीपचन्द, पप्पूराम पुत्र भाग चन्द ग्रामवासियान मिलकपुर तहसील रामगढ के कमलबद्व किये गयें, विजय कुमार पुत्र मंगलराम, नूरमल पुत्र श्री छोटे खां, बनवारी लाल पुत्र श्री भाग सिंह, कर्मचन्द पुत्र दीपचन्द, पप्पूराम पुत्र भाग चन्द अपने कथनों में उचित मूल्य दूकानदार द्वारा सामग्री देता किन्तु कई बार चक्कर लगवाना, बाद में आना, केरोसीन नही देना और ना ही कार्ड में

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

Scanned by CamScanner

इन्द्राज करना, ट्रॉजेक्शन की पर्ची नही देना होना बताया गया है। उचित मूल्य दूकानदार के उपभोक्ताओं के बयान लिये गये जिसमें डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के कार्डो पर फर्जी ट्रॉजेक्शन कर केरोसीन निकाला हुआ पाया गया है। अपीलान्ट को जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.12.2017 को जारी किया गया था, अपीलान्ट द्वारा नोटिस जबाव दिनांक 13.12.2017 को पेंश किया गया। जबाव नोटिस में अपीलान्ट द्वारा भी माना है कि वक्त जांच प्राधिकार पत्र व स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये, व उपभोक्ता की अधिक भीड होने के कारण राशन कार्ड में एन्ट्री नहीं हो पाई, उपभोक्ताओं को राशन सामग्री हेतु बार–बार दुकान पर बुलाया जाता है जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पडता है। जिससे स्पस्ट है कि अपीलान्ट के द्वारा अनियमितता रही है। तहत अदालत द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 14, 15 व 17 सी का स्पष्ट उल्लधंन पाये जाने के कारण प्राधिकार पत्र निरस्त किया है एवं प्रतिभूति राशि जब्त की है। तहत अदालत ने उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण का कोई युक्तियुक्त एवं औचित्यपूर्ण कारण प्रगट नहीं किया है। अपीलान्ट इस तथ्य को साबित करने असमर्थ रहा है। हम तहत अदालत के पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 29–06–2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति तहत अदालत को मय रिकार्ड पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय दिनांक 24–10–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर, अलवर
अलवर (राज०)